प्रकरण संख्या 31/19 2019/00135 ता0रजू 02.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

घनश्याम मीना पुत्र श्री रामप्रसाद मीना उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत पांचौली तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली राज0 — रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2019 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल व प्रवर्तन निरीक्षक, करौली द्वारा दिनांक 12.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की जांच करने पर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का संचालन अनधिकृत रूप से श्री रामगोपाल मीना द्वारा किया जाना, उपभोक्ताओं को मौके पर पोश मशीन की पर्ची(बिल) नहीं देना, दुकान नियमित नहीं खोली जाकर माह में 3–4 दिवस ही खोलना, डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के साथ गाली– गलौंच तथा अभद्र व्यवहार करना, ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो–तीन माह में एक बार ही वितरण करना, उपभोक्ताओं के दो माह का गेंहूं ऑनलाइन निकालकर एक माह का ही देना, अपीलार्थी राशन डीलर के पास 2. 32.800 क्विं. चीनी स्टॉक में कम मिलना तथा 2433 लीटर केरोसीन का आमद से अधिक वितरण करना आदि अनियमितताएं पाये जाने एवं अपीलार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21. 05.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से ग्राम पंचायत पांचौली तहसील मण्डरायल जिला करौली के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कार्य करता रहा है। आदेश दिनांक 21.05.2019 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के बिपरीत, विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल द्वारा दिनांक 12.02.2019 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसके उपरान्त जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र का निलंबित किया जाकर दिनांक 21.02.2019 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें मुख्य रूप से 2 क्विंटल 32 किलो 800 ग्राम चीनी का दुरूपयोग एवं 2433 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण बाबत् आरोप अंकित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.02.2019 का जवाब दिनांक 13.03.2019 को प्रस्तुत किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि

जिला कलक्टर
करौली

प्रार्थी के स्टॉक में चीनी उपलब्ध है लेकिन जांच अधिकारी द्वारा अवशेष स्टॉक की उचित मापतौल किये बिना ही चीनी के दुरूपयोग का आरोप लगाया गया जबकि उक्त चीनी स्टॉक में मौजूद थी जो कि प्रार्थी द्वारा निवेदन करने के बावजूद अटैच डीलर द्वारा अवशेष चीनी के स्टॉक का उठाव नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 15.05.2019 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें जवाब हेतु 21.05.2019 तारीख पेशी नियत की गई जिसका विस्तृत जवाब मय साक्ष्य सबूत प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2019 को दे दिया गया जिसमें भी प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि अवशेष स्टॉक प्रार्थी के पास मौजूद है बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुये निरस्त कर दिया गया। अतः विवादित आदेश दिनांक 21.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ताओं को पोश मशीन द्वारा बायोमेट्रिक रूप से मिलान करने पर रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता किया जाना संभव नहीं है। रसद सामग्री का वितरण ऑनलाईन होने के कारण उपभोक्ता के मोबाईल पर रसद सामग्री प्राप्ति का मैसेज आ जाता है। अतः उक्त प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी/अनियमितता किये जाने की संभावना कतई रूप से नहीं हो सकती बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया जो कि विधिसम्मत नहीं होने के कारण विवादित आदेश दिनांक 21.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योकिं वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री देय हो जाती है इसलिये उपभोक्ता के राशनकार्ड में सामग्री का इन्द्राज नहीं होने मात्र से डीलर के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप नहीं लगाया जा सकता लेकिन उक्त प्रकरण में प्रार्थी के ऊपर रसीद न देने बाबत् आरोप अंकित किया गया जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रसद सामग्री की प्राप्ति का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाता है। जांच दल द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित दिशा–निर्देशो को दरकिनार कर मनमाने ढंग से बिना उचित जांच व निष्कर्ष पारित किये केवल मात्र उपभोक्ताओं के मौखिक बयान एवं उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत खाली राशनकार्डो को आधार मानते हुए रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप लगाया गया जो कि कतई रूप से न्यायोचित नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा अपने स्वयं के विभाग की पोश मशीन प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया क्योंकि एकतरफा तो नियमानुसार संपूर्ण रसद सामग्री का वितरण पोश मशीन द्वारा ऑनलाईन किये जाने हेतु दिशा–निर्देश पारित किये गये है जिसमें स्वतः ही रसद सामग्री दिये जाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है जिसकी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कही से भी प्राप्त की जा सकती है दूसरी तरफ विभाग केवल मात्र

जिला कलक्टर
करौली

उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर ही रसद सामग्री प्राप्त नहीं होने के आधार पर डीलर के विरूद्ध कालाबाजारी का आरोप लगा दिया जाता है जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रसद सामग्री प्राप्त करने के लिये उपभोक्ता को राशनकार्ड लाना आवश्यक नहीं है केवल मात्र भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने मात्र से ही रसद सामग्री प्राप्त हो जाती है। उक्त समस्त तथ्यों को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कन्सीडर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पोश मशीन में रसद सामग्री का स्टॉक जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा डाला जाता है एवं प्रार्थी द्वारा केवल मात्र उपभोक्ताओं के आधार कार्ड का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन के अनुसार केरोसीन तेल का वितरण पोश मशीन द्वारा किया गया है एवं किसी भी परिस्थति में आवंटन से अधिक वितरण पोश मशीन द्वारा नहीं किया जा सकता। यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा केरोसीन तेल के उठाव की गणना अक्टूबर 2016 से किये जबकि प्रार्थी का प्राधिकार पत्र जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक निलंबित था एवं प्रार्थी द्वारा फरवरी 2017 से केरोसीन तेल का उठाव किया गया जबकि जांच दल द्वारा उक्त वास्तविक तथ्य को नजरअंदाज कर अक्टूबर 2016 से केरोसीन तेल के उठाव की गणना की जाकर प्रार्थी के ऊपर 2433 लीटर केरोसीन का आमद से अधिक वितरण बाबत् आरोप लगाया गया जो कि जांच दल की कार्य प्रणाली को प्रश्नचिन्ह करता है। उक्त समस्त तथ्यों को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कन्सीडर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा विवादित आदेश दिनांक 21.05.2019 पारित करने से पूर्व ना तो जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करावाई गई एवं ना ही कोई दस्तावेज बयानात आदि की कॉपी उपलब्ध करवाई गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.06.2019 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पत्रावली पर ऐसी कोई भी ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना जा सके। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अहम कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 15.05.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब हेतु 21.05.2019 तारीख पेशी नियत की गई जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2019 को प्रस्तुत कर दिया गया लेकिन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जवाब प्रस्तुत करने के दि नही अपने आदेश दिनांक 21.05.2019 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुये निरस्त कर दिया गया जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त कार्यवाही उच्चस्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण की गई है। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है एवम् प्रार्थी के ऊपर कोई गम्भीर आरोप भी नहीं है एवम् प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरसत कर दिया गया। अतः विवादित आदेश दिनांक 21.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस के दौरान कथन है कि जिला रसद अधिकारी, करौली, प्रवर्तन निरीक्षक, करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल के द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच दिनांक 12.02.2019 को की गई जिसमें अपीलार्थी की दुकान पर श्री रामगोपाल मीना अनधिकृत रूप से राशन सामग्री का वितरण करते हुए पाये गये। उपभोक्ताओं को वितरित राशन सामग्री की पर्ची (बिल) नहीं दिये जा रहे थे। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर केरोसीन 0(शून्य) लीटर, चीनी 2 किलो 300 ग्राम, गेंहूं जूट

जिला कलक्टर
करौली

के वारदाने में सीलबंद 404 कट्टे (50 किलो प्रत्येक) 202 क्विं. एवं खुला गेंहूं जिसे तौलने पर 4 क्विं. पाया अर्थात कुल गेंहूं 206 क्विं. पाया गया। फर्द मौका पर श्री रामगोपाल मीना के हस्ताक्षर हैं। उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में बताया है कि राशन डीलर नियमित रूप से दुकान नहीं खोलकर माह में 3–4 दिन ही दुकान खोलता है,, उपभोक्ताओं के साथ गाली–गलौंच व अभद्र व्यवहार करता है, राशन दुकान ग्राम पंचायत मुख्यालय पांचौली से 3–4 किमी. दूर लौहवापुरा में है। राशन कार्ड में इन्द्राज व ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट से मिलान करने पर पाया कि अपीलार्थी राशन डीलर ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो माह का गेंहूं ऑनलाइन निकालकर एक माह का ही देता है अपीलार्थी की दुकान की कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण तथा थोक विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक वितरण रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट करने पर पाया कि अपीलार्थी डीलर के पास वक्त जांच 206.18 क्विं. गेंहूं होना चाहिए था जो 206 क्विं. अर्थात 0.18 क्विं. गेंहू कम पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 को प्रारम्भिक स्टॉक 00(शून्य) चीनी एवं दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 5 क्विं. चीनी सहित कुल 5 क्विं. चीनी में से 2.48 क्विं. चीनी के वितरण के बाद 2.52 क्विं. चीनी स्टॉक में होनी चाहिये थी जो स्टॉक में 19.200 किलोग्राम अर्थात् 2.32.800 क्विं. चीनी कम पाई गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 को प्रारंभिक स्टॉक 0 लीटर केरोसीन एवं वक्त जांच तक आमद 27400 लीटर केरोसीन की अपेक्षा अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 29833 लीटर केरोसीन वितरण अर्थात 2433 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन दुकानदार द्वारा 0.18 क्विं. गेंहूं, 2.32.800 क्विं. चीनी का दुरुपयोग किया गया एवं 2433 लीटर केरोसीन का आमद से अधिक वितरण किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था जिसके जवाब में अपीलार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया था जो संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत् है। अंत में अपील, अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी राशन डीलर के चाचा श्री रामगोपाल मीना, जो वक्त जांच राशन वितरण कर रहे थे, की उपस्थिति में दिनांक 12.02.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई थी। कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण तथा थोक विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक वितरण रिपोर्ट के आधार पर वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान के भौतिक सत्यापन पर स्टॉक में 206.18 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 206 क्विं.गेंहूं व 2.52 क्विं. चीनी की अपेक्षा 19.200 किलोग्राम चीनी स्टॉक में पाई गई जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है जो गंभीर अनियमितता है। इसी प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा आमद 27400 लीटर केरोसीन के स्थान पर 29833 लीटर केरोसीन का वितरण अर्थात् 2433 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण कर दिया गया है जो गंभीर अनियमितता है। अपीलार्थी को सुनवाई बाबत् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा उचित अवसर भी दिया गया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया था जो संतोषजनक नहीं था। राशन कार्डों में वितरण का इन्द्राज व ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी राशन डीलर राशन कार्ड में एक बार के वितरण का इन्द्राज कर दो बार ऑनलाइन वितरण कर देता था एवं एक बार की राशन सामग्री को राशन कार्ड धारक को नहीं देकर उसका दुरुपयोग करता था एवं उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखता था। इस प्रकार

जिला कलक्टर
करौली

अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में गंभीर अनियमितताएं की गईं हैं जिसके कारण हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली